



बिलासपुर, शुक्रवार 10 नवम्बर 2023

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

वाकई जल्दी निपटें सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामले

सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपाधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर के हाई कोर्टों को आदेश दिया है कि वे जिला न्यायालयों में ऐसे लम्बित मामलों की नियमित निगरानी करें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैच ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई निश्चित समयावधि सम्बन्धी निर्देश नहीं दिए जा सकते लेकिन उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामले दर्ज करें और उनकी मॉनिटरिंग करें। विशेष रूप से उन मामलों को प्राथमिकता दी जाये जिनमें उन्न कैद या फांसी की सजा का प्रावधान हो। पीछे में न्यायमर्ती पीएस नरसिंहा और मनोज मिश्र आन्य सदस्य हैं। बैच ने कहा कि हाई कोर्ट ऐसे मामलों पर तेजी से सुनवाई के लिए विशेष बैच भी बना सकते हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के बाहर कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपाधिक मुकदमों के निपटारे के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को स्वतः संज्ञान लेना होगा। अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित मुकदमों की प्राप्तावी निगरानी और नियन्त्रण हेतु कार्यवाही को तेज करें। इन प्रकरणों की सुनवाईयों को हाईकोर्टों को बेसाइटों पर डालने का भी आदेश बैच द्वारा दिया गया जिससे जनता को पता चलता रहे कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ किस प्रकार के मामले लम्बित हैं और उन पर कोई कोई सुनवाई में क्या हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमर्ती पीएस नरसिंहा और मनोज मिश्र की सदस्यता वाली पीठ के निर्देशनुसार ये विशेष पीठें ज़रूरत पड़ने पर मामलों को नियमित अंतराल पर सुचारू बदल सकती हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों के जल्दी और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश भी जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बैच ने कहा कि विशेष पीठ का नेतृत्व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। इसमें अग्रे यह भी स्परणीय है कि प्रौढ़ भौतिक और विधायकों के खिलाफ प्रकरणों का निपटारा आपाधिक अंतराल पर सुचारू बदल सकती है।

उल्लेखनीय है कि 2014 में भी एक मामले की सुनवाई करते हुए सीधी न्यायाधीश के निर्देशनुसार ये विशेष पीठें ज़रूरत पड़ने पर मामलों को नियमित अंतराल पर सुचारू बदल सकती हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों के जल्दी और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश भी जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बैच ने कहा कि विशेष पीठ का नेतृत्व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। इसमें अग्रे यह भी स्परणीय है कि प्रौढ़ भौतिक और विधायकों के खिलाफ प्रकरणों का निपटारा आपाधिक अंतराल पर सुचारू बदल सकती है।

उल्लेखनीय है कि 2014 में भी एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के निर्देशनुसार ये विधायकों के खिलाफ प्रकरणों का निपटारा आपाधिक अंतराल पर सुचारू बदल सकती है।

यहां यह भी स्परणीय है कि प्रौढ़ अपने रस्खू का इस्तेमाल कर कानों की धन्धियां उड़ाने वाले लोग बेधक संसद के सदनों और विधानसभा-विधान मंडलों में हाँह पहुंच पाएंगे। चंद्रचूड़ मोदी उस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं जैसे सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करती थी, उसी के बड़ी संख्या में आपाधिक पृथक्खूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि बनकर इन सदनों में न केवल प्रवेश पा रहे हैं बल्कि वे जहां तक आवश्यक हो तो जहां तक आवश्यक हो रहे हैं। इसके बाद वे जहां तक आवश्यक हो तो जहां तक आवश्यक हो रहे हैं।

कुछ अरसा पहले एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने बताया था कि आपाधिक रेकार्ड के लोग हर दल से शर्तियां जीतते हैं। इस कारण वे सभी दलों की पहली पसंद होते हैं। इसीलिये बड़ी संख्या में आपाधिक पृथक्खूमि के लोग विधायिकों में पहुंचते हैं और अपने पद, प्रभाव तथा पैसों के बल पर अपने खिलाफ जारी जांच व मुकदमों को या तो रुकवा देते हैं या उनकी गति को थोका करवा देते हैं। इन प्रकरणों के बावजूद वे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और कार्यकाल पूरा कर लेते हैं।

तमाम निराशाजनक तर्कार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और हाई कोर्टों को दिया निर्देश आशा की किरण के रूप में देखा जा सकता है बर्शेत कि उच्च न्यायालय बगैर दबाव के प्रभाव में आये तथा भारी-भरकम कोर्स लेकर मामले लड़ने वाले उनके हाई प्रोफाइल बैचों के दांव-पैचों से निकलकर वाकई कथित बड़े लोगों के प्रकरणों को देखायी तो भारतीय देशवासियों को एक सफ-सुधरी कोर्टार्टिक व्यवस्था दें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को इसका भी रास्ता निर्देश आशा की किरण के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेष वर्तमान में देशवासियों को एक सांसदों-विधायकों में लम्बित मामलों को ही समाप्त कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2022 में सभी राज्यों के खिलाफ लम्बित प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने के लिये कहा था पर केवल 12 राज्यों ने ही उसका पालन किया है।

सामाजिक-आर्थिक सर्वे से नीतीश ने भाजपा को पछाड़ा

विधि हार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सामित्र कर दिया है कि नेंद्र मोदी उनकी राजनीतिक कीशलत और प्रशासनिक कुशलता की बाबबीरी नहीं कर सकते। हालांकि मोदी के मध्यम वर्ग के भ्रष्ट दबाव करते हैं कि उन्हें भी समझा है कि अपने प्रतिवादी को कब और कैसे पछाड़ा है। मंगलवार को जाति जनगणना के सामाजिक-आर्थिक अकार्डे जारी करने के नीतीश का कदम सरेंद्र देशदेश देता है कि उनके पास और भी बहुत कुछ है कि इनमें सामाजिक समावेशन के साथ-साथ राजनीतिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

मोदी द्वारा भारत के लोगों से किये गये सभी वाद-चाहे उनके बाबत के लोगों में निपटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर के हाई कोर्टों को आदेश दिया है कि वे जिला न्यायालयों में ऐसे लम्बित मामलों की नियमित निगरानी करें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैच ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई निश्चित समयावधि सम्बन्धी निर्देश नहीं दिए जा सकते लेकिन उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामले दर्ज करें और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए विधायकों के गहरी समझ शामिल है।

मोदी द्वारा भारत के लोगों से किये गये सभी वाद-चाहे उनके बाबत के लोगों में निपटाने के लिये यह लगातार ग्राहक रहते हैं कि उनके पास और भी बहुत कुछ है कि इनमें सामाजिक समावेशन के साथ-साथ राजनीतिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों के महत्व की गहरी समझ है।

विधि ने कहा कि विधायिकों के खिलाफ लम्बित मामलों को तो जारी करने के लिए विधायिकों के आधिकारिक विधायिक समय दोनों

